मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
ऊर्जा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल–462016

भोपाल, दिनांक,– 25 अप्रैल 2006

अधिसूचना

क्रमांक.1044/म.प्र.वि.नि.आ./06– विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 181(आई) तथा 91(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा अधिसूचना क्रमांक 1713–म.प्र.वि.नि.आ.–04 दिनांक 25.6.2004 द्वारा अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम 2004 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है ;

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति)
विनियम 2004 में चतुर्थ संशोधन/परिवर्धन

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :**

   (i) ये विनियम ''**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम 2004, (चतुर्थ संशोधन) (क्रमांक एजी–6 (iv), वर्ष 2006)**'' कहें जायेंगे ।

   (ii) ये विनियम मध्यप्रदेश शासन के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

   (iii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा ।

2. **विनियम 2 में परिवर्धन**

   मध्यप्रदेश विद्युत नियामक अयोग (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 में अनुच्छेद क्रमांक 2(1) के अनुक्रमांक '' छ'' पर दर्शाई परिभाषा के अंत में निम्न वाक्य अंर्तस्थापित किया जावे, अर्थात् :

   ''परामर्शी में वरिष्ठ परामर्शी एवं सलाहकार भी सम्मिलित हैं।''

आयोग के आदेशानुसार

अशोक शर्मा, उप सचिव